

**राजस्थान उच्च न्यायालय**

**जोधपुर**

डी.बी. विशेष अपील रिट संख्या 21/2020

1. राघवेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री भीम सिंह जी, उम्र लगभग 58 वर्ष, निवासी बीनावास, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर, राजस्थान।
2. मानवेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री भीम सिंह जी, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी बीनावास, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर, राजस्थान।

----अपीलकर्ता

**बनाम**

1. राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर।
2. अतिरिक्त कलेक्टर, जोधपुर।
3. प्राधिकृत अधिकारी जोधपुर (एसडीओ, जोधपुर)।
4. राजस्थान राज्य, राजस्व सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।
5. प्रताप सिंह पुत्र स्व. श्री भीम सिंह जी, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी बीनावास, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

**के साथ**

डी.बी. विशेष अपील रिट नंबर 64/2017

प्रताप सिंह पुत्र स्व. श्री भीम सिंह जी, बीनावास, तहसील बिलाड़ा, जिला-जोधपुर।

----अपीलकर्ता

**बनाम**

1. राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर।
2. अतिरिक्त कलेक्टर, जोधपुर।
3. प्राधिकृत अधिकारी जोधपुर (एसडीओ, जोधपुर)।
4. राजस्थान राज्य, राजस्व सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।
5. राघवेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री भीम सिंह जी, निवासी बीनावास, तहसील-बिलाड़ा, जिला-जोधपुर
6. मानवेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री भीम सिंह जी, निवासी बीनावास, तहसील-बिलाड़ा, जिला-जोधपुर।

----प्रतिवादीगण

अपीलकर्ताओं के लिए : श्री सत्य प्रकाश शर्मा,  
श्री अभिमन्यु खत्री,  
श्री डी.एस. राजवी, और  
श्री विकास जोशी, अधिवक्ता

प्रतिवादीगण के लिए : श्री एस.एस. लदरेचा, ए.ए.जी., को  
श्री रवींद्र जाला, अधिवक्ता द्वारा सहायता प्रदान की गई

**माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् श्री चंद्रशेखर  
माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् कुलदीप माथुर  
निर्णय**

**आरक्षित किया गया : 30/08/2024**

**उच्चारित किया गया : 16/01/2025**

द्वारा श्री चंद्रशेखर, जे.

यह विशेष अपीलें रिट न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध निर्देशित हैं जिसमें भूमि प्राधिकृत अधिकारी, राजस्व मंडल द्वारा 26 अक्टूबर 1993 और 9 सितंबर 1997 को पारित उन आदेशों में हस्तक्षेप नहीं करने का निर्णय लिया गया था, जिनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपीलार्थीगण से 336 बीघा और 4 बिस्वा भूमि पुनर्गृहीत करने के निर्णय को अनुमोदित किया गया था।

2. जोधपुर जिले की बिलाड़ा तहसील के अंतर्गत बीनावास के निवासी होने का दावा करने वाले स्वर्गीय भीम सिंह जी के दोनों पुत्रों, राघवेंद्र सिंह और मानवेंद्र सिंह ने एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3930/1997 को खारिज करने वाले आदेश को चुनौती देने के लिए डी.बी. विशेष अपील (रिट) संख्या 21/2020 के माध्यम से इस न्यायालय का रुख किया है। डी.बी. विशेष अपील

संख्या 64/2017 दायर कर, प्रताप सिंह, जो उपरोक्त रिट कार्यवाही में प्रतिवादी संख्या 5 थे, ने भी रिट न्यायालय के 16 अगस्त 2016 को दिए गए उक्त निर्णय को चुनौती दी है।

3. संक्षिप्त विवरण के अनुसार, भीम सिंह जी और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ राजस्थान कृषि जोत सीमा निर्धारण अधिनियम, 1973 (संक्षेप में, 'राजस्थान सीलिंग अधिनियम') के तहत एक कार्रवाई शुरू की गई थी, जिसके प्रावधान 1 जनवरी 1973 से लागू हुए थे। इसके अनुसरण में एक जांच की गई और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके तहत भीम सिंह जी और उनके परिवार के सदस्यों के पास बीनावास और कापरड़ा में अधिशेष कृषि भूमि होना दर्शाया गया; खासकर, साल्ट कंपनी की लगभग 527 बीघा संपत्ति में। इस जांच रिपोर्ट के अनुसार भीम सिंह जी ग्राम बीनावास और कापरड़ा में भूमि के कुछ हिस्से अपने पास रख सकते थे और साल्ट कंपनी के नाम पर दर्ज उपरोक्त भूमि में से लगभग 190 बीघा और 16 बिस्वा भूमि को पुनर्गृहीत किया जाना था। सीलिंग अपील संख्या 118/1976 दायर कर, भीम सिंह जी ने उक्त भूमि को अधिग्रहित करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 20 जनवरी 1976 को चुनौती दी, जो उनके अनुसार असिंचित भूमि थी और इसलिए इसे अधिशेष भूमि के रूप में नहीं माना जा सकता था। 31 मार्च 1976 को, भीम सिंह जी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा खारिज कर दिया गया, जिन्होंने यह माना कि भीम सिंह जी की पत्नी और नाबालिग पुत्रों के नाम पर दर्ज भूमि को बाहर नहीं रखा जा सकता है और सीलिंग सीमा का निर्धारण उन्हें संयुक्त परिवार का हिस्सा मानकर किया जाना था। उक्त आदेश को राजस्व मंडल के समक्ष सीलिंग पुनरीक्षण अपील संख्या 329/1976 में चुनौती दी गई थी, जिसने पुनरीक्षण अपील को दिनांक 14 जुलाई 1976 के आदेश द्वारा इस टिप्पणी के साथ निस्तारित किया कि अंतिम बंदोबस्त आदेश में कुल केवल 190 बीघा और 16 बिस्वा भूमि शामिल होनी चाहिए और साल्ट कंपनी की 527 बीघा भूमि में से शेष भूमि को सीलिंग कार्यवाही से बाहर रखा जाना

चाहिए। राजस्व बोर्ड ने स्पष्ट किया कि 14 जुलाई 1976 का आदेश साल्ट कंपनी की मूल्यांकन पत्रावली में अंतिम निर्णय पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, जो उस समय कथित तौर पर अलग से लंबित थी।

4. इसके छह वर्ष से अधिक समय पश्चात राजस्थान सीलिंग अधिनियम के तहत प्राधिकृत अधिकारी को राज्य सरकार ने 23 फरवरी 1983 का आदेश पारित कर भीम सिंह जी और उनके परिवार के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई फिर से शुरू करने का निर्देश दिया। इसके अनुपालन में अतिरिक्त कलेक्टर, जो राजस्थान सीलिंग अधिनियम के तहत प्राधिकृत अधिकारी हैं, ने राजस्व मंडल द्वारा पारित 14 जुलाई 1976 के आदेश के आधार पर सीलिंग कार्यवाहियों से अपवर्जित की गई 336 बीघा और 4 बिस्वा भूमि के अधिग्रहण के लिए 29 अगस्त 1985 को एक आदेश पारित किया और तहसीलदार को भूमि के उस टुकड़े पर कब्जा लेने का निर्देश दिया गया। अतिरिक्त कलेक्टर, जोधपुर के 336 बीघा और 4 बिस्वा भूमि अधिग्रहित करने के इस निर्णय का अनुमोदन सीलिंग अपील संख्या 88/1991 में पारित 26 अक्टूबर 1993 के आदेश द्वारा और साथ ही सीलिंग (पुनरीक्षण) याचिका संख्या 13/1994 द्वारा भी किया गया था, जिसे राजस्व मंडल द्वारा 9 सितंबर 1997 को खारिज कर दिया गया था।

5. राजस्थान सीलिंग अधिनियम को भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण और विशेष रूप से राजस्थान राज्य में खेती के लिए उपलब्ध कृषि भूमि भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (बी) और (सी) के तहत परिकल्पित सार्वजनिक हित की पूर्ति हेतु सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। राजस्थान सीलिंग अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि कृषि भूमि के जोत में बहुत असमानता है जिससे ऐसी भूमि कुछ विशेष व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो गई है और इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि सीलिंग क्षेत्र से अधिक कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जाए और ऐसी भूमि को ग्रामीण आबादी के भूमिहीनों और अन्य व्यक्तियों में

वितरित किया जाए। “राम प्रताप बनाम राजस्थान राज्य और अन्य”<sup>1</sup> और “राजस्थान राज्य बनाम मथुरा लाल”<sup>2</sup> में, इस न्यायालय ने यह माना कि राजस्थान सीलिंग अधिनियम एक विशेष कानून है और इसका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 और राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम 1956 पर इसका अध्यारोही प्रभाव होगा। ऐसा इसलिए माना गया क्योंकि राजस्थान सीलिंग अधिनियम की धारा 3 में यह अधिदेश दिया गया है कि राजस्थान सीलिंग अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे, चाहे तत्समय लागू किसी अन्य कानून में कोई असंगति हो या इसके विपरीत कोई रूढ़ि, प्रथा या अनुबंध या डिक्री या किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी का आदेश हो। धारा 6 एक अध्यारोही अभिव्यक्ति के साथ शुरू होती है, “तत्समय लागू किसी भी कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद”, और यह 26 सितंबर 1970 को या उसके बाद बिक्री, उपहार, विनिमय, समनुदेशन (असाइनमेंट), अभ्यर्पण, वसीयत, ट्रस्ट के निर्माण या अन्यथा किए गए भूमि के प्रत्येक हस्तांतरण को अमान्य बनाती है और इसे राजस्थान सीलिंग अधिनियम के प्रावधानों को विफल करने के उद्देश्य से किया गया माना जाता है; सिवाय, राजस्थान सीलिंग अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व किए गए एक सद्भावी हस्तांतरण के। धारा 10 अधिसीमा से ज़्यादा भूमि रखने वाले व्यक्तियों द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने का प्रावधान करती है। धारा 10 के तहत, प्रत्येक व्यक्ति जो राजस्थान सीलिंग अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि पर अपने ऊपर लागू सीलिंग क्षेत्र से अधिक भूमि रखता था, उसे प्राधिकृत अधिकारी को ऐसे प्रारूप में और ऐसे विवरणों के साथ विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक था जो निर्धारित किए जाएं। धारा 12 के तहत, प्राधिकृत अधिकारी धारा 10 के तहत प्रस्तुत विवरणी के आधार पर, या धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत प्रस्तुत अतिरिक्त विवरणों के आधार पर या धारा 11 की उप-धारा (2) के तहत उसके द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर सीलिंग क्षेत्र से अधिक भूमि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में एक

---

1 1982 एसएससी ऑनलाइन राज 27

2 1983 आरआरडी 308

प्रारूप विवरण तैयार करेगा। धारा 12 के तहत आपत्ति मांगने वाले नोटिस के साथ प्रारूप विवरण प्रस्तुत करने के लिए सुनवाई का उचित अवसर आवश्यक है। धारा 13 यह प्रावधान करती है कि आपत्तियों के निपटारे के बाद, प्राधिकृत अधिकारी अंतिम विवरण तैयार करेगा और उसकी एक प्रति संबंधित व्यक्ति पर तामील कराएगा और इसे आम जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित भी कराएगा, और ऐसी तामील और प्रकाशन अंतिम विवरण में कथित तथ्यों का निश्चयक साक्ष्य होगा।

6. वर्तमान उद्देश्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान धारा 15 में निहित है, जिसमें प्रारंभ में यह प्रावधान था कि राज्य सरकार अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को धारा 13 के तहत अंतिम विवरण के प्रकाशन के तीन साल के भीतर किसी भी समय तय किए गए मामले को फिर से खोलने और सीलिंग क्षेत्र तथा अधिशेष क्षेत्र को नए सिरे से निर्धारित करने के लिए जांच करने का निर्देश दे सकती है। उप-धारा (2) के तहत, यह प्रावधान किया गया था कि नए कानून की धारा 40 द्वारा निरस्त कानून के तहत निर्धारित किसी व्यक्ति के संबंध में अधिशेष क्षेत्र को भी नए अधिनियम के प्रारंभ होने के तीन साल के भीतर किसी भी समय फिर से खोला जा सकता था। धारा 15 के प्रावधान, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किए गए थे, निम्नलिखित तरीके से तैयार किए गए थे :-

“15. मामलों को पुनः खोलने की शक्ति - (1) इस अधिनियम के किसी प्रावधान में निहित किसी भी चीज पर ध्यान दिए बिना, यदि राज्य सरकार धारा 13 के तहत अंतिम विवरण के प्रकाशन से तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय संतुष्ट हो जाती है कि किसी व्यक्ति के संबंध में अधिकतम सीमा क्षेत्र इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में निर्धारित किया गया है, तो वह अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को किसी निर्णीत मामले को पुनः खोलने और इसकी जांच करने तथा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिकतम सीमा क्षेत्र और अधिशेष क्षेत्र को नए सिरे से निर्धारित करने का निर्देश दे सकती है।

(2) धारा 40 में निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष के अंदर किसी भी समय, इस बात से संतुष्ट हो कि उक्त धारा द्वारा निरस्त कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति के संबंध में तय अधिकतम सीमा का निर्धारण ऐसे निरस्त कानून के प्रावधानों के उल्लंघन में किया गया है, तो वह अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को तय किए गए मामले को फिर से खोलने और उसकी जांच करने और ऐसे निरस्त कानून के प्रावधानों के अनुसार सीलिंग क्षेत्र और अधिशेष क्षेत्रों को नए सिरे से निर्धारित करने का निर्देश दे सकती है।”

7. धारा 15 को इस आशय के साथ संशोधित किया गया था कि राज्य सरकार किसी भी अंतिम आदेश, ऐसे अंतिम आदेश की तारीख से चार साल के भीतर या 15 अगस्त 1975 से तीन साल के भीतर, जो भी बाद में हो, को फिर से खोलने का निर्देश दे सकती है जो उसकी राय में इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में पारित किया गया था और ऐसा आदेश राज्य सरकार के लिए प्रतिकूल था, इसके बाद धारा 15 को इस आशय के साथ और संशोधित किया गया कि समाप्त हो चुकी सीलिंग कार्यवाही को फिर से खोलने के लिए कोई नोटिस अंतिम आदेश की तारीख से पांच साल की समाप्ति के बाद या 30 जून 1979 की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, जारी नहीं किया जाएगा। 23 फरवरी 1993 को, यानी वर्तमान मामले में कार्यवाही को फिर से खोलने के दिन, धारा 15 के तहत संशोधित प्रावधान इस प्रकार थे:-

“15. मामलों को पुनः खोलने की शक्ति - (1) इस अधिनियम में निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि राज्य सरकार, रिकॉर्ड मंगवाने के बाद या अन्यथा, संतुष्ट है कि इस अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले में पारित कोई भी अंतिम आदेश इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में है और ऐसा आदेश राज्य सरकार के लिए प्रतिकूल है या नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज के कारण जो उसके संज्ञान में आए हैं, ऐसे आदेश को फिर से खोला जाना आवश्यक है, तो वह ऐसे अंतिम आदेश की तारीख से चार साल के भीतर या 15 अगस्त 1975 से तीन साल के भीतर, जो भी बाद में हो, अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को

ऐसे तय मामले को फिर से खोलने और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इसे नए सिरे से तय करने का निर्देश दे सकती है।

(2) राजस्थान किरायेदारी अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम 3) के तहत उसे उपलब्ध होने वाले किसी भी अन्य उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि राज्य सरकार, रिकॉर्ड मंगवाने के बाद या अन्यथा, संतुष्ट है कि धारा 40 द्वारा निरस्त प्रावधानों के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले में पारित कोई भी अंतिम आदेश ऐसे निरस्त प्रावधानों के उल्लंघन में है और ऐसा आदेश राज्य सरकार के लिए प्रतिकूल है या नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज के कारण जो उसके संज्ञान में आए हैं, ऐसे आदेश को फिर से खोला जाना आवश्यक है, तो वह इस अधिनियम के प्रारंभ होने के छह साल के भीतर किसी भी समय अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को ऐसे तय मामले को फिर से खोलने और ऐसे निरस्त प्रावधानों के अनुसार इसे नए सिरे से तय करने का निर्देश दे सकती है:

बशर्ते कि उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में संदर्भित मामले में बोर्ड द्वारा पारित किसी भी अंतिम आदेश को उक्त उप-धाराओं के तहत फिर से खोलने और नए सिरे से तय करने का निर्देश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि राज्य सरकार संतुष्ट न हो जाए कि नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज के कारण जो उसके संज्ञान में आए हैं या रिकॉर्ड के प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट किसी गलती के कारण ऐसे आदेश को फिर से खोलना आवश्यक है।”

8. सीलिंग कार्यवाहियों को पुनः खोलने के लिए 23 फरवरी 1983 का आदेश राज्य सरकार द्वारा इस आधार पर पारित किया गया था कि प्राधिकृत अधिकारी का 20 जनवरी 1976 का निर्णय और राजस्व मंडल का 14 जुलाई 1976 का निर्णय राजस्थान सीलिंग अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ राज्य के हितों के विरुद्ध थे। इस आदेश के अनुसार साल्ट कंपनी के पास मौजूद 336 बीघा और 4 बिस्वा भूमि को अधिग्रहण के योग्य न मानकर गलत घोषित किया गया था और घेवरचंद को 21 बीघा और एक बिस्वा भूमि की बिक्री अनुमेय नहीं थी। राज्य-प्रतिवादीगण द्वारा यह रूख लिया गया है कि 23 फरवरी 1983 का आदेश इस आधार पर पारित

किया गया था कि राज्य सरकार के संज्ञान में एक नया तथ्य आया था कि साल्ट कंपनी की 336 बीघा और 4 बिस्वा भूमि के संबंध में पत्रावली संख्या 1240/1975 में कोई निर्णय नहीं था। 23 फरवरी 1983 का आदेश राजस्थान सीलिंग अधिनियम की धारा 15(1) के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित कारण बताता है:

4. प्राधिकृत अधिकारी के निर्णय, जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट और गैर-आवेदक द्वारा प्रस्तुत उत्तर का अवलोकन किया गया। गैर-आवेदक, उसकी पत्नी और नाबालिग बेटे के पास गांव बीनावास में 341/18 बीघा भूमि थी, जिसमें से 40/10 बीघा कृषि योग्य थी, 289/13 बीघा बारानी थी और 1/15 बीघा गैर-कृषि योग्य थी। इसके अलावा, गांव कापरड़ा में साल्ट कंपनी के नाम पर अलग भूमि थी। यह कुल भूमि 5379/8 बीघा थी। इस भूमि में गैर-आवेदक का हिस्सा 1/16 था जो 336/4 बीघा होता है। साल्ट कंपनी की यह भूमि बंदोबस्त के रिकॉर्ड में कृषि योग्य के रूप में दर्ज है। अपने निर्णय में, प्राधिकृत अधिकारी ने 336/4 बीघा भूमि को शामिल नहीं किया है और इस प्रकार जारी किए गए आदेश में, गैर-आवेदक के पास मौजूद साल्ट कंपनी की भूमि छूट गई थी। गैर-आवेदक के अधिवक्ता का यह तर्क कि यह भूमि कृषि योग्य नहीं है, मान्य नहीं है क्योंकि जैसा कि ऊपर कहा गया है कि भूमि का प्रकार बारानी दर्ज है और बंदोबस्त रिकॉर्ड में दर्ज भूमि के प्रकार को ही अंतिम माना जाएगा। इसके विपरीत, भूमि का कोई भी वर्गीकरण मान्य नहीं है। दूसरा प्रश्न 21/1 बीघा भूमि के हस्तांतरण के सद्भावी होने के संबंध में रहता है। यह हस्तांतरण 16.05.72 को घेवरचंद नामक व्यक्ति के पक्ष में किया गया है। यह भूमि घेवरचंद के पक्ष में दर्ज की गई है। इसके प्रमाण के रूप में जमाबंदी की एक प्रति प्रस्तुत की गई है। साथ ही, यह बिक्री धन की आवश्यकता के कारण की गई बताई गई है। इस स्थिति को देखते हुए, इस हस्तांतरण को सद्भावी मानने में कोई संदेह नहीं है। इसलिए, इस बिंदु पर जारी नोटिस रद्द किया जाता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि कापरड़ा में स्थित गैर-आवेदक की भूमि को प्राधिकृत अधिकारी ने अपने अधिग्रहण के आदेश में शामिल नहीं किया है। ऐसी स्थिति में, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय कानून के प्रावधानों के विपरीत और राज्य के हितों के विरुद्ध है। अतः इसे रद्द करने के पर्याप्त आधार हैं।

5. उपरोक्त विश्लेषण से यह पाया गया है कि उप-खंड अधिकारी, जोधपुर का दिनांक 20.01.76 का निर्णय राजस्थान कृषि जोत सीलिंग अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अनुरूप नहीं है और राज्य के हितों के विरुद्ध है। इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 15 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर को उपरोक्त निर्णय के आलोक में उक्त सीलिंग मामले को पुनः खोलने और नियमों के अनुसार आवेदकों को नोटिस देने और उल्लिखित सभी बिंदुओं पर विस्तृत जांच के बाद कानूनी प्रावधानों के अनुसार अपना निर्णय देने के लिए अधिकृत और निर्देशित किया जाता है।
6. इस निर्णय की एक प्रति संबंधित पत्रावली के साथ अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर को उचित कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।”

9. प्रासंगिक रूप से, सीलिंग अपील संख्या 118/1976 में 20 जनवरी 1976 का आदेश, जो प्रथम सीलिंग कार्यवाही में पारित किया गया था, तहसीलदार की जांच रिपोर्ट का संदर्भ देता है जिसके अनुसार भीम सिंह जी के परिवार में उनकी पत्नी और तीन नाबालिग बेटे शामिल थे। राजस्थान सीलिंग अधिनियम की धारा 2(घ) के तहत 'सीलिंग क्षेत्र' अभिव्यक्ति को कृषि भूमि के उस अधिकतम क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे कोई व्यक्ति या परिवार पूरे राज्य में कहीं भी धारा 4 के तहत रखने का हकदार है। धारा 2 की उप-धारा (ण) प्रावधान करती है कि "अधिशेष भूमि" से तात्पर्य उस भूमि से है जो किसी व्यक्ति द्वारा उस पर लागू सीलिंग क्षेत्र से अधिक रखी गई है और धारा 13 के तहत अधिशेष घोषित की गई है। धारा 4 के तहत आगे यह प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जो परिवार नहीं है, और प्रत्येक परिवार जिसमें पांच या पांच से कम सदस्य हैं, जिसे परिवार की "प्राथमिक इकाई" माना जाएगा, ऐसे व्यक्ति या ऐसे परिवार पर लागू होने वाले सीलिंग क्षेत्र का निर्णय धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। प्रथम सीलिंग कार्यवाही में पारित प्राधिकृत अधिकारी का आदेश काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भीम सिंह जी द्वारा लिए गए रूख का खंडन करने के लिए राज्य-प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य

प्रस्तुत नहीं किया गया था। प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष भीम सिंह जी और भीम सिंह जी से खरीदार घेवरचंद ने अपने बयान दिए और उनके साक्ष्य को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया। उस समय, भीम सिंह जी ने अपने कब्जे में 678 बीघा और 2 बिस्वा भूमि घोषित की थी, जिसमें से 21 बीघा और 1 बिस्वा भूमि घेवरचंद को बेची गई थी। इस आदेश द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ने यह माना कि भीम सिंह जी और उनका परिवार साल्ट कंपनी के नाम पर दर्ज 527 बीघा में से 190 बीघा और 16 बिस्वा की सीमा तक अतिरिक्त भूमि रख रहे थे और यह वही आदेश है जिसकी अंततः राजस्व मंडल द्वारा पुष्टि की गई थी। मुकदमेबाजी के उस दौर में राजस्व मंडल ने निम्नानुसार माना था:-

3. यह दिखाया गया है कि कापरड़ा में स्थित 336 बीघा 4 बिस्वा भूमि कृषि भूमि नहीं है। यह साल्ट कंपनी के कब्जे और उपयोग में है जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता का भी हिस्सा है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि धारा 16(1) के तहत अंतिम विवरण में उपरोक्त भूमि को शामिल करने का ही कानूनी प्रभाव इसके अधिग्रहण का है और इसलिए केवल 190 बीघा 16 बिस्वा के अधिग्रहण का अंतिम आदेश इस धारा के प्रावधानों के साथ असंगत है। उनके मुवक्किल को इस बात का नुकसान होता है कि उस भूमि में उनके अधिकार अधिग्रहण के माध्यम से समाप्त हो रहे हैं और फिर भी सीलिंग कानून के प्रावधानों के तहत उसका कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। यह उनके विरुद्ध प्रत्यक्ष रूप से अवैध और अनधिकृत है।

4. मैं इस बिंदु को अच्छी तरह से प्रतिपादित पाता हूँ। यह स्पष्ट है कि प्राधिकृत अधिकारी ने साल्ट कंपनी में निहित अन्य भूमियों के संबंध में निर्णय से स्वतंत्र होकर इस भूमि को इस आदेश के तहत अधिग्रहित करने का इरादा नहीं रखा है, भले ही यह भू-अभिलेखों में अपीलकर्ता के नाम पर दर्ज रही हो। अतः वर्तमान अपील इस सीमा तक सफल होती है कि अंतिम विवरण को संशोधित माना जाएगा ताकि अधिग्रहित करने के लिए चुनी गई केवल कुल 190 बीघा 16 बिस्वा भूमि को ही शामिल किया जा सके। यह साल्ट कंपनी में निहित भूमि के लिए कंपनी की मूल्यांकन फाइल में होने वाले किसी भी अंतिम निर्णय के प्रतिकूल प्रभाव के बिना है, जो कथित तौर पर अलग से लंबित है।”

10. इस तथ्य के बावजूद कि राज्य सरकार के पास किसी भी संपन्न कार्यवाही को फिर से खोलने की शक्ति है, राजस्व मंडल, एक वैधानिक अपीलीय प्राधिकारी होने के नाते, प्राधिकृत अधिकारी के उस आदेश को यंत्रवत रूप से अनुमोदित करने के लिए बाध्य नहीं था जो सीलिंग कार्यवाही को फिर से खोलने के राज्य सरकार के निर्णय के अनुसरण में पारित किया गया था। भीम सिंह जी द्वारा दायर सीलिंग अपील संख्या 88/1991 और सीलिंग (पुनरीक्षण) याचिका संख्या 13/1994 को खारिज करते हुए, राजस्व मंडल ने सीलिंग (पुनरीक्षण) अपील संख्या 329/1976 में पारित अपने स्वयं के आदेश की समीक्षा की। हालाँकि, राजस्थान सीलिंग अधिनियम राजस्व मंडल को अपने निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है और ऐसी शक्ति धारा 23 क के तहत केवल प्राधिकृत अधिकारी में निहित है जिसे एक संशोधन के माध्यम से अधिनियम में शामिल किया गया था। धारा 23 क के तहत प्राधिकृत अधिकारी को प्रदत्त शक्ति अपनी स्वयं की प्रेरणा पर या तहसीलदार के आवेदन पर कार्यवाही को छोड़ने तक विस्तारित है। धारा 23 क आगे प्रावधान करती है कि प्राधिकृत अधिकारी इस अधिनियम के तहत पारित किसी भी आदेश की समीक्षा कर सकता है या उसे रद्द कर सकता है या बदल सकता है या उसकी पुष्टि कर सकता है। लेकिन राजस्थान सीलिंग अधिनियम के तहत पारित अपने आदेश की समीक्षा करने के लिए राजस्व मंडल को ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई है। इसलिए, राजस्थान सीलिंग अधिनियम में राजस्व मंडल द्वारा समीक्षा के प्रावधान की अनुपस्थिति को विधायिका का एक सचेत निर्णय माना जाना चाहिए, विशेष रूप से धारा 23 क के तहत प्राधिकृत अधिकारी में निहित समीक्षा की शक्ति के आलोक में। यह एक स्थापित कानून है कि समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किसी अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा तभी किया जा सकता है जब कानून इसके लिए प्रावधान करता हो। “कलाभारती एडवरटाइजिंग बनाम हेमंत विमलनाथ नरीचनिया

एवं अन्य”<sup>3</sup> में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यदि कानून में समीक्षा की स्पष्ट शक्ति प्रदान करने वाला कोई प्रावधान नहीं है, तो न्यायिक/अर्ध-न्यायिक आदेश के विरुद्ध समीक्षा आवेदन विचारणीय नहीं है। “पटेल नरसी ठाकरशी एवं अन्य बनाम श्री प्रद्युमनसिंहजी अर्जुनसिंहजी”<sup>4</sup> में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि समीक्षा करने की शक्ति कोई अंतर्निहित शक्ति नहीं है और इसे कानून द्वारा या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 114, जो न्यायालय की डिक्री या आदेश से व्यथित व्यक्ति के लिए प्रदान किया गया समीक्षा का एक सारभूत प्रावधान है, समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने के लिए कोई पूर्व शर्त निर्धारित नहीं करती है। हालाँकि, न्यायालय केवल सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में उल्लिखित निर्धारित आधारों पर ही अपने आदेश की समीक्षा कर सकता है। “मीरा भांजा बनाम निर्मला कुमारी चौधरी”<sup>5</sup> में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि समीक्षा कार्यवाही अपील के रूप में नहीं है और इसे सख्ती से आदेश 47 नियम 1 के दायरे और सीमा तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। उक्त प्रावधान के तहत किसी निर्णय की समीक्षा की जा सकती है यदि रिकॉर्ड के प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट कोई गलती या त्रुटि हो, लेकिन फिर, एक ऐसी त्रुटि जो स्वतः स्पष्ट नहीं है और जिसे तर्क की प्रक्रिया द्वारा समझना पड़ता है, उसे शायद ही अभिलेख के प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट त्रुटि कहा जा सकता है। निर्णयों की एक श्रृंखला में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए मामले की पुनः सुनवाई करना और दोषपूर्ण निर्णय को सुधारना अनुमेय नहीं है।

11. मुकदमेबाजी के दूसरे दौर में भले ही सीलिंग कार्यवाही को फिर से खोलने के लिए राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश और साल्ट कंपनी की 336 बीघा और 4 बिस्वा भूमि को अधिग्रहित

3 [2010] 9 एससीसी 437

4 [1971] 3 एससीसी 844

5 [1995] 1 एससीसी 170

करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का आदेश चुनौती के अधीन थे, फिर भी राजस्व मंडल के लिए यह आवश्यक था कि वह अपने स्वयं के आदेश से भिन्न होने और इस प्रकार मुकदमेबाजी के पहले दौर में पारित 14 जुलाई 1976 के आदेश की समीक्षा करने के कारण बताए। राजस्थान सीलिंग अधिनियम की धारा 15(1) के तहत मामलों को फिर से खोलने की शक्ति उन मामलों तक सीमित है जहाँ (i) राजस्थान सीलिंग अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में एक अंतिम आदेश पारित किया गया था, या (ii) अंतिम आदेश राज्य सरकार के हित के प्रतिकूल था। राज्य सरकार राजस्थान सीलिंग अधिनियम के तहत किसी भी अंतिम आदेश के पारित होने के बाद उसके संज्ञान में आए नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज के आधार पर भी किसी मामले को फिर से खोलने की हकदार हो सकती है। लेकिन इन आधारों पर भी राजस्थान सीलिंग अधिनियम की धारा 15(1) के तहत शक्ति का प्रयोग परिसीमा की अवधि के बाद नहीं किया जा सकता है। अपने 14 जुलाई 1976 के आदेश में राजस्व मंडल ने यह निष्कर्ष दर्ज किया था कि 336 बीघा और 4 बिस्वा गैर-सिंचित भूमि साल्ट कंपनी के कब्जे और उपयोग में थी, जिसमें वर्तमान अपीलकर्ता का 1/16 वां हिस्सा था। राजस्व मंडल के इस निष्कर्ष को राज्य सरकार द्वारा इस आधार पर त्रुटिपूर्ण पाया गया था कि साल्ट कंपनी की भूमि बंदोबस्त के अभिलेख में कृषि योग्य भूमि के रूप में दर्ज थी और बंदोबस्त अभिलेख की प्रविष्टियों को निश्चयक और अंतिम माना जाता है। हालाँकि, राज्य सरकार के पास तहसीलदार की जांच रिपोर्ट और जिला कलेक्टर की सिफारिश के अलावा यह स्थापित करने के लिए कोई अभिलेख नहीं था कि विवादित भूमि बारानी या कृषि के लिए उपयुक्त कृषि भूमि थी। यह भी अभिलेख पर नहीं लाया गया था कि साल्ट कंपनी या अपीलकर्ता कृषि उद्देश्यों के लिए विवादित भूमि के कब्जे में थे या वास्तव में विवादित भूमि पर कृषि गतिविधियां कर रहे थे।

12. यह राजस्व मंडल द्वारा पारित उन अस्पष्ट आदेशों के संदर्भ में है जो मुख्य रूप से राज्य-प्रतिवादीगण द्वारा लिए गए समान रूख को ध्यान में रखते हुए दिए गए थे कि हम यह टिप्पणी करने के इच्छुक हैं कि पूर्व न्याय (res judicata) और विवाद्यक-विबंध (issue-estoppel) के पीछे की कल्याणकारी सार्वजनिक नीति को वैधानिक अधिकारियों द्वारा राजस्थान सीलिंग अधिनियम के तहत अपील पर विचार करते समय भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। कानूनी प्रणाली में निश्चितता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वैधानिक प्राधिकरण, जिसमें अपने स्वयं के निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति निहित नहीं है, बाद की या समवर्ती कार्यवाही में अपने पिछले निर्णय का पालन करे; कम से कम तथ्य के प्रश्न पर अपने निर्णय का। कानून की अदालत के निर्णय की बाध्यकारी प्रकृति के महत्व पर लॉर्ड कोक (Lord Coke) द्वारा जोर दिया गया था जिन्होंने एक बार कहा था कि "अन्यथा कानून के रंग और ढोंग के तहत बड़ा उत्पीड़न किया जा सकता है"। लैटिन कहावत 'interest reipublicae ut sit finis litium' जिसका अर्थ है "राज्य के हित में है कि मुकदमेबाजी का अंत हो" अत्यधिक महत्व की सार्वजनिक नीति को समाहित करती है। वास्तव में सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णयों का बाध्यकारी चरित्र अपने आप में कानून के शासन का एक अनिवार्य हिस्सा है। हमारी राय में, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 114 के तहत प्रावधान जो कानून की अदालत के निर्णयों की निश्चयकता के नियम को मूर्त रूप देता है, राजस्थान सीलिंग अधिनियम के तहत वैधानिक प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्णयों या पारित आदेशों पर, अपीलीय स्तर पर भी, बड़े पैमाने पर लागू होगा। पूर्व न्याय या विवाद्यक-विबंध के नियम का प्रयोग संपत्ति में कोई अधिकार या हित पैदा नहीं करता है, बल्कि केवल एक ही विवाद्यक की एक बार फिर से सुनवाई करने पर रोक लगाता है। अन्यथा, अंतहीन कार्यवाहियाँ होंगी और मुकदमेबाजी की अंतिमता एक भ्रम बन सकती है। "सुलोचना अम्मा बनाम नारायणन नायर"<sup>6</sup> में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि सिविल प्रक्रिया संहिता की

---

6 [1994] 2 एससीसी 14

धारा 11 के प्रावधान सार्वजनिक नीति पर आधारित हैं और निजी न्याय भी प्रदान करते हैं। ये प्रावधान अधिकरणों की सभी न्यायिक कार्यवाहियों और अर्ध-न्यायिक कार्यवाहियों पर भी लागू होते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के स्पष्टीकरणों के तहत हम किसी निर्णय को अंतिमता प्रदान करने के पीछे की सार्वजनिक नीति के बारे में और अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्टीकरण IV यह प्रावधान करता है कि कोई भी मामला जिसे पूर्ववर्ती वाद में प्रतिरक्षा या हमले का आधार बनाया जा सकता था या बनाया जाना चाहिए था, उसे बाद के वाद में प्रत्यक्ष और सारभूत रूप से विवाद्यक माना जाएगा। इसलिए, वह मामला जिसे पक्षकारों को मुकदमेबाजी की विषय-वस्तु के संबंध में लड़ना चाहिए था या लड़ सकते थे, वह भी पक्षकारों के बीच पूर्व न्याय का गठन करेगा।

13. हम इस तथ्य के प्रति सचेत हैं कि मुकदमेबाजी के दूसरे दौर में वैधानिक व्यवस्था के तहत दायर अपील के आधार पर मामला राजस्व मंडल के समक्ष विचाराधीन था और उसके पास अपीलीय प्राधिकारी की सभी शक्तियाँ थीं, लेकिन जिस तरह से राजस्व मंडल ने इस मामले को निपटाया, वह अपीलीय प्राधिकारी के रूप में उसके कर्तव्य का एक प्रकार का परित्याग था। राजस्थान सीलिंग अधिनियम के अध्याय VI के तहत धारा 23, धारा 12 की उप-धारा (3) या धारा 11 ख की उप-धारा (3) या धारा 19 की उप-धारा (3) के तहत प्राधिकृत अधिकारी के निर्णय या आदेश या धारा 21 के तहत पारित किसी भी निर्णय या आदेश के विरुद्ध संबंधित जिले के कलेक्टर के समक्ष अपील का मंच प्रदान करती है। धारा 23 की उप-धारा (2 क) यह प्रावधान करती है कि धारा 15 के तहत प्राधिकृत अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध राजस्व मंडल के पास अपील होगी। उप-धारा (1) के तहत संबंधित जिले के कलेक्टर और धारा 23 की उप-धारा (2 क) के तहत राजस्व मंडल को प्रदत्त अपीलीय शक्ति पर्याप्त रूप से विस्तृत प्रतीत होती है ताकि

(i) मामले का अंतिम रूप से निर्णय किया जा सके (ii) मामले को प्रतिप्रेषण किया जा सके या (iii) अतिरिक्त साक्ष्य लिया जा सके या मामले का अंतिम निर्णय करने के उद्देश्य से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसा साक्ष्य लेने की अपेक्षा की जा सके। कलेक्टर या राजस्व मंडल की शक्ति अपील में अंतिम निर्णय होने तक चुनौती के अधीन किसी भी निर्णय या आदेश के निष्पादन पर रोक लगाने का आदेश देने तक विस्तृत है। राजस्व मंडल द्वारा अपने 26 अक्टूबर 1993 और 09 सितंबर 1997 के आदेशों में बिल्कुल भी ठोस कारण नहीं दिए गए हैं और भीम सिंह जी द्वारा दायर याचिकाओं को अस्थिर आधारों पर खारिज कर दिया गया।

14. उपरोक्त पहलुओं के अलावा, राज्य सरकार द्वारा पारित 23 फरवरी 1983 के आदेश को दी गई चुनौती का मुख्य आधार कि संपन्न सीलिंग कार्यवाही को फिर से खोलने का निर्देश देने के लिए राजस्थान सीलिंग अधिनियम की धारा 15(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा परिसीमा अवधि समाप्त होने के बाद नहीं किया जा सकता था, उसे राजस्व मंडल और रिट न्यायालय द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया। अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री सत्य प्रकाश शर्मा ने तर्क दिया कि प्राधिकृत अधिकारी और राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेशों को फिर से खोलने का राज्य सरकार का निर्णय इस संबंध में किसी वैधानिक प्रावधान द्वारा समर्थित नहीं था और बल्कि, धारा 15(1) के परंतुक के तहत प्रतिबंधों से घिरा हुआ था, जिसने अंतिम आदेश की तारीख से संपन्न सीलिंग कार्यवाही को फिर से खोलने के लिए चार साल की परिसीमा या 15 अगस्त 1975 से तीन साल के भीतर, जो भी बाद में हो, का प्रावधान किया था। अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि संपन्न सीलिंग कार्यवाही को फिर से खोलने की शक्ति आगे इस प्रतिबंध से सीमित है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर संपन्न कार्यवाही को फिर से खोलने का निर्णय नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज पर आधारित होना चाहिए, लेकिन वह आधार वर्तमान मामले में उपलब्ध नहीं है।

15. सीलिंग कानून का उद्देश्य सीलिंग क्षेत्र का निर्धारण करना और भूमिधारक के कब्जे वाली अतिरिक्त भूमि को वापस लेना है, लेकिन उपरोक्त आधारों में से किसी पर भी संपन्न सीलिंग कार्यवाही को फिर से खोलने की राज्य सरकार की शक्ति का प्रयोग निर्धारित परिसीमा अवधि के भीतर किया जाना चाहिए; धोखाधड़ी, मिथ्या निरूपण आदि का मामला एक अपवाद है। राजस्थान सीलिंग अधिनियम की धारा 15 की वैधता को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है।<sup>7</sup> “गुरबख्श सिंह एवं अतुमल उर्फ आत्माराम बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य”<sup>8</sup> में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य विधायिका भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि-18 के तहत भूमि पर सीलिंग निर्धारित करने वाला कानून बनाने के लिए सक्षम थी और ऐसा कानून बनाते समय राज्य विधायिका के लिए कृषि सुधारों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और राजस्थान सीलिंग अधिनियम के प्रावधानों की चोरी को रोकने के लिए राजस्थान सीलिंग अधिनियम की धारा 15 जैसा प्रावधान करना अनुमेय था। हालाँकि, राजस्थान सीलिंग अधिनियम के पीछे के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकती है और धारा 15 के तहत शक्ति का प्रयोग ऐसे आधारों पर नहीं कर सकती है जो उपलब्ध नहीं हैं और जिन्हें नए तथ्य की खोज नहीं माना जा सकता है। धारा 15, जो मामलों को फिर से खोलने की शक्ति राज्य सरकार में निहित करती है, राज्य सरकार की संतुष्टि की बात करती है जो राज्य सरकार के समक्ष उपलब्ध सामग्री के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पर आधारित होनी चाहिए। उप-धारा (1) के पहले परंतुक ने संबंधित व्यक्ति पर प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना किसी भी मामले को फिर से खोलने की राज्य सरकार की शक्ति को प्रतिबंधित किया है। दूसरे परंतुक ने राज्य सरकार की शक्ति पर आगे प्रतिबंध लगाया कि फिर से खोलने के लिए मांगे गए अंतिम आदेश की तारीख से "चार साल" की समाप्ति के बाद या

7 "सुखदर्शन सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य" [1989] Supp (2) एससीसी 671

8 [1992] Supp.(3) एससीसी 24

15 अगस्त 1975 से तीन साल की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। पुनरावृत्ति हेतु, राजस्थान कृषि जोत सीलिंग अधिरोपण (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम 1979 के माध्यम से धारा 15 को संशोधित किया गया था और यह 30 दिसंबर 1978 को लागू हुआ और संशोधन अधिनियम की धारा 2 के माध्यम से परिसीमा की निर्धारित अवधि को "पांच वर्ष" तक बढ़ा दिया गया था। उससे पहले, परिसीमा की निर्धारित अवधि "तीन वर्ष" थी और उसे भी एक संशोधन द्वारा "चार वर्ष" तक बढ़ाया गया था। केवल संकेत देने के लिए, सीलिंग कार्यवाही को फिर से खोलने का राज्य सरकार का आदेश हालांकि पांच वर्ष की विस्तारित अवधि के भी बाद का था। राजस्थान सीलिंग अधिनियम में संशोधन लाने के उद्देश्यों और कारणों का विवरण बताता है कि समय सीमा बढ़ाना आवश्यक था क्योंकि मामलों को फिर से खोलने की चार वर्ष की अवधि 31 दिसंबर 1978 को समाप्त हो गई थी। संशोधन अधिनियम में उद्देश्यों और कारणों के विवरण में निम्नलिखित कारण दिए गए थे :-

“राजस्थान कृषि जोत सीलिंग अधिरोपण अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम संख्या 11) की धारा 15 राज्य सरकार को राजस्थान किरायेदारी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों में निहित पुराने सीलिंग कानून के साथ-साथ नए सीलिंग कानून के तहत अंतिम रूप से तय किए गए मामलों को फिर से खोलने का निर्देश देने का अधिकार देती है। नए कानून के तहत मामलों के लिए समय सीमा अंतिम आदेश पारित होने की तारीख से चार वर्ष या 31 दिसंबर 1978 तक थी, जो भी बाद में हो। उक्त तिथि से चार वर्ष से अधिक पूर्व तय किया गया कोई भी मामला फिर से खोलने के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता था। पुराने कानून के तहत अंतिम रूप से तय किए गए मामलों को 1973 के अधिनियम में निहित नए कानून के प्रारंभ होने से छह वर्ष की अवधि के भीतर फिर से खोला जा सकता था। अधिनियम 1-1-1973

को लागू हुआ। इस प्रकार समय सीमा 31-12-1978 को समाप्त हो गई, समय सीमा बढ़ाना आवश्यक हो गया।”

16. राजस्थान सीलिंग अधिनियम की धारा 15 में संशोधन के उद्देश्यों और कारणों का विवरण विधायी मंशा के बारे में एक बहुत ही उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि धारा 15 के तहत निर्धारित परिसीमा विस्तार योग्य नहीं है और यदि चार वर्ष (या, धारा 15 में दूसरे संशोधन के बाद पांच वर्ष) के भीतर फिर से खोलने की कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी, तो राज्य सरकार धारा 15 की उप-धारा (1) के आधार पर निहित अपनी शक्ति और अधिकार क्षेत्र खो देगी। परिसीमा के प्रश्न पर, हम "दौलत सिंह (मृत) विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य"<sup>9</sup> में चर्चाओं का संदर्भ भी ले सकते हैं, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि परिसीमा की गणना के लिए प्रासंगिक तिथि उस आदेश की तिथि होगी जिसे फिर से खोला जाना प्रस्तावित है और सीलिंग अधिनियम की धारा 15 के तहत कारण बताओ नोटिस की तिथि होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार माना:-

“13. 1973 के सीलिंग अधिनियम की धारा 15 राज्य सरकार को मामलों को फिर से खोलने की शक्ति प्रदान करती है, यदि वह संतुष्ट है कि पिछला आदेश अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में था और राज्य के हित के प्रतिकूल है। मामलों को फिर से खोलने के उपरोक्त निर्देश से पहले संबंधित व्यक्ति पर कारण बताओ नोटिस तामील किया जाना चाहिए। हालाँकि, परंतुक खंड कहता है कि फिर से खोलने के लिए मांगे गए अंतिम आदेश की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति के बाद या 30 जून 1979 की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, कोई नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है।

14. इसलिए, प्रावधान यह आदेश देता है कि फिर से खोलने के लिए मांगे गए अंतिम आदेश की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति के बाद, या 30 जून 1979 की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, ऐसे मामलों को फिर से खोलने के

लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है। इसलिए, परिसीमा के मुद्दे के निर्धारण के लिए प्रासंगिक तिथियाँ फिर से खोलने के लिए मांगे गए आदेश की तिथि और 1973 के सीलिंग अधिनियम की धारा 15 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने की तिथि हैं।”

17. हालाँकि, राजस्थान सीलिंग अधिनियम में वैधानिक निषेध और स्थापित कानूनी स्थिति की अनदेखी करते हुए रिट न्यायालय ने अपीलकर्ताओं द्वारा लिए गए परिसीमा के तर्क को स्वीकार नहीं किया कि संपन्न सीलिंग कार्यवाही को फिर से खोलने के लिए राजस्थान सीलिंग अधिनियम की धारा 15(1) के तहत राज्य सरकार की शक्ति का प्रयोग निर्धारित अवधि के बाद नहीं किया जा सकता है। अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया था कि राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश की तारीख से चार वर्ष की अवधि के भीतर, अर्थात् 14 जुलाई 1976 से, राज्य सरकार संपन्न सीलिंग कार्यवाही को फिर से खोलने की अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकती थी, लेकिन उसके बाद नहीं। दूसरी ओर, राज्य-प्रतिवादीगण द्वारा लिया गया पक्ष यह था कि नए तथ्य की खोज के आधार पर फिर से खोलने की कार्यवाही परिसीमा अवधि के चार वर्ष के भीतर ही शुरू की गई थी। दिलचस्प बात यह है कि रिट न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत परिसीमा के तर्क को यह पक्ष लेकर भी टालने की कोशिश की गई कि अपीलकर्ताओं द्वारा राजस्व मंडल के समक्ष ऐसा कोई तर्क नहीं लिया गया था और रिट न्यायालय ने ऐसी आपत्ति को अनुमोदित कर दिया। रिट न्यायालय ने निम्नानुसार माना:-

“...11. निर्विवाद रूप से, याचिकाकर्ताओं द्वारा फिर से खोलने की कार्यवाही के परिसीमा द्वारा वर्जित होने के संबंध में उठाया गया तर्क राजस्व मंडल के समक्ष नहीं उठाया गया था। वर्तमान याचिका में, याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 15(1) के तहत प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में सीलिंग कार्यवाही को फिर से खोलने वाले राज्य सरकार द्वारा पारित 23.2.83 के आदेश की वैधता पर सवाल उठाया है, लेकिन

दायर याचिका में तथ्यों की कोई ऐसी नींव या आधार नहीं उठाया गया है कि सीलिंग कार्यवाही को फिर से खोलने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई कार्यवाही परिसीमा द्वारा वर्जित थी। दायर याचिका में याचिकाकर्ताओं का यह मामला भी नहीं है कि अधिनियम की धारा 15(1) के पहले परंतुक में संदर्भित नोटिस राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 15(1) के दूसरे परंतुक के तहत प्रदान की गई परिसीमा अवधि की समाप्ति के बाद जारी किया गया था। इस प्रकार, कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि याचिका में तथ्यों की किसी नींव के बिना इस संबंध में याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाया गया तर्क पूरी तरह से गलत और किसी भी गुण-दोष से रहित है।

12. याचिकाकर्ताओं के इस तर्क पर आते हुए कि 20.1.76 का आदेश राजस्व मंडल द्वारा पारित 14.7.76 के आदेश में विलीन हो जाने के कारण सीलिंग कार्यवाही को फिर से नहीं खोला जा सकता था, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 15(1) के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि अधिनियम के तहत मामले में पारित अंतिम आदेश अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में है या ऐसा आदेश राज्य सरकार के लिए प्रतिकूल है या नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज के कारण जो उसके संज्ञान में आए हैं, ऐसे आदेश को फिर से खोला जाना आवश्यक है, सीलिंग कार्यवाही को फिर से खोलने के लिए सशक्त है। इस मामले को देखते हुए, राज्य सरकार अपील में राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश द्वारा संपन्न सीलिंग कार्यवाही को फिर से खोलने से वर्जित नहीं है।

13. यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि वर्तमान मामले में, मूल सीलिंग कार्यवाही में प्राधिकृत अधिकारी ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में सीलिंग क्षेत्र से अधिक 527 बीघा भूमि निर्धारित की थी, हालाँकि राजस्व मंडल ने यह देखते हुए 336 बीघा 4 बिस्वा भूमि को अपवर्जित कर दिया कि प्राधिकृत अधिकारी ने साल्ट कंपनी में निहित अन्य भूमियों के संबंध में निर्णय से स्वतंत्र होकर अपने द्वारा पारित आदेश के तहत उक्त भूमि को अधिग्रहित करने का इरादा नहीं रखा था। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो यह सुझाव दे कि उक्त भूमि साल्ट कंपनी की मूल्यांकन फाइल में तय की जाने वाली कार्यवाही की विषय-वस्तु थी और इसलिए, याचिकाकर्ताओं के पक्ष में सीलिंग क्षेत्र से अधिक भूमि का आकलन करते समय राजस्व मंडल के पास उक्त भूमि को अपवर्जित करने का कोई अवसर नहीं था। इस मामले को देखते हुए, सही

तथात्मक स्थिति का पता लगाए बिना राजस्व मंडल द्वारा लिए गए त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण के संबंध में तथ्य पर ध्यान देने पर राज्य सरकार कार्यवाही को फिर से खोलने का निर्देश देने में पूरी तरह से न्यायसंगत थी।

14. याचिका में याचिकाकर्ताओं का यह मामला भी नहीं है कि विवादित भूमि अर्थात राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम पर दर्ज 336 बीघा और 4 बिस्वा भूमि साल्ट कंपनी की फाइल में मूल्यांकन की विषय-वस्तु थी, जिसे कथित तौर पर अलग से लंबित बताया गया था। इतना कहना ही पर्याप्त है कि याचिकाकर्ता ऐसा कोई मामला बनाने में सक्षम नहीं रहे हैं कि राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम पर दर्ज भूमि, जो साल्ट कंपनी की फाइल में मूल्यांकन की विषय-वस्तु भी नहीं थी, उसे उनके हाथों में सीलिंग क्षेत्र से अधिक भूमि का आकलन करते समय क्यों अपवर्जित किया जाना चाहिए।

15. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, राजस्व मंडल द्वारा पारित आक्षेपित आदेश किसी भी अधिकारिता संबंधी त्रुटि से ग्रस्त नहीं है जिससे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपने पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता हो .....”

18. रिट न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए उपरोक्त निष्कर्षों के बिल्कुल विपरीत, रिट अभिवचनों में अपीलकर्ताओं द्वारा एक निश्चित पक्ष लिया गया था कि सीलिंग कार्यवाही 14 जुलाई 1976 को राजस्व मंडल के आदेश द्वारा संपन्न हो गई थी और इसे राजस्थान सीलिंग अधिनियम की धारा 15(1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए 23 फरवरी 1983 के आदेश द्वारा फिर से नहीं खोला जा सकता था। रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 13 में, अपीलकर्ताओं ने कहा कि राजस्व मंडल के समक्ष एक विशिष्ट आपत्ति उठाई गई थी कि राज्य सरकार 14 जुलाई 1976 के आदेश द्वारा संपन्न सीलिंग कार्यवाही को फिर से नहीं खोल सकती थी, लेकिन उस आपत्ति को राजस्व मंडल द्वारा खारिज कर दिया गया था। इस संबंध में रिट अभिवचनों के प्रासंगिक हिस्से यहाँ नीचे पुनरुत्पादित किए गए हैं:-

“....13. इससे व्यथित होकर राजस्व मंडल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमें एक विशिष्ट आपत्ति उठाई गई कि राज्य सरकार राजस्व मंडल के निर्णय के बाद

संलग्नक 1 द्वारा निर्णित मामले को फिर से नहीं खोल सकती क्योंकि 20.1.76 का आदेश अंतिम आदेश नहीं था और यह राजस्व मंडल में विलीन हो जाता है और अंततः राजस्व मंडल का आदेश अंतिम हो जाता है। इस आपत्ति को राजस्व मंडल के सदस्य द्वारा खारिज कर दिया गया था और विद्वान राजस्व मंडल ने 26.10.93 के आदेश द्वारा अपील को खारिज कर दिया, उसी आदेश की प्रति संलग्नक 6 है।

14. यह कि राजस्व मंडल के समक्ष एक समीक्षा भी दायर की गई थी लेकिन उसे 9.9.97 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है, उसी आदेश की प्रति संलग्नक 7 के रूप में यहाँ संलग्न है।

15. यह कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं का एकमात्र तर्क यह है कि राज्य सरकार केवल इस अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले में पारित किसी अंतिम आदेश को फिर से खोलने का निर्देश दे सकती है और इस मामले में अंतिम आदेश 14-7-76 का संलग्नक 3 है।

16. यह कि, 20.1.76 के आदेश संलग्नक 1 को अंतिम आदेश नहीं कहा जा सकता है। धारा 15 के खंड (2) के साथ संलग्न परंतुक के अनुसार, राज्य सरकार नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज के कारण, जो उसके संज्ञान में आए हैं, मंडल द्वारा तय किए गए मामले को फिर से खोलने का निर्देश नहीं दे सकती है। प्रासंगिक परंतुक निम्नानुसार पुनरुत्पादित है:- "बशर्ते कि उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में संदर्भित मामले में बोर्ड द्वारा पारित किसी भी अंतिम आदेश को नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज के कारण जो उसके संज्ञान में आए हैं या रिकॉर्ड के प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट किसी गलती या त्रुटि के कारण फिर से खोलने का निर्देश नहीं दिया जाएगा। "

17. यह कि, राज्य सरकार ने 20.1.1976 के आदेश को इस आधार पर फिर से खोलने का निर्देश दिया है कि साल्ट कंपनी की 336 बीघा भूमि में याचिकाकर्ताओं के हिस्से को ध्यान में नहीं रखा गया था। राज्य सरकार की यह कार्रवाई अधिकार क्षेत्र के बिना है। "

19. हम आगे पाते हैं कि रिट न्यायालय के समक्ष विशिष्ट आधारों का अभिवचन किया गया था जो राजस्थान सीलिंग अधिनियम की धारा 15(1) के तहत शक्ति के प्रयोग में परिसीमा के तर्क

का संदर्भ देते हैं। इस संदर्भ में, हम रिट न्यायालय के समक्ष लिए गए आधारों के प्रासंगिक हिस्सों को लाभप्रद रूप से पुनरुत्पादित कर सकते हैं जो इस प्रकार हैं:-

“(i) यह कि अधिनियम की धारा 15(1) के तहत राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.2.83 (संलग्नक 4) और इस आदेश (संलग्नक 4) के अनुसरण में पारित आगे के आदेश (संलग्नक 5, 6 और 7) अधिकार क्षेत्र के बिना हैं और रद्द किए जाने योग्य हैं।

(ii) यह कि दिनांक 20.1.76 का आदेश राजस्व मंडल द्वारा पारित दिनांक 14.7.76 के आदेश में विलीन हो गया है और इस प्रकार आदेश (संलग्नक 1) को मामले में अंतिम आदेश नहीं कहा जा सकता है। मामले में अंतिम आदेश राजस्व मंडल द्वारा पारित संलग्नक 3 है और राज्य सरकार ने 14.7.76 के आदेश को फिर से खोलने का निर्देश नहीं दिया है, बल्कि इसने प्राधिकृत अधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित 20.1.76 के आदेश को निर्देशित किया है।

(iii) यह कि अधिनियम की धारा 15(1) को सरसरी तौर पर पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अंतिम आदेश को फिर से खोलने का निर्देश दिया जा सकता है और इस दृष्टिकोण से 20.1.76 का आदेश (संलग्नक 1) इस मामले में अंतिम आदेश नहीं था।

(iv) यह कि धारा 15 की उप-धारा (2) के साथ संलग्न परंतुक यह बहुत स्पष्ट करता है कि बोर्ड का कोई भी अंतिम आदेश कुछ नए साक्ष्यों के आधार पर पारित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार यदि आदेश 14.7.76 के संलग्नक 3 के संबंध में होता तो भी वह अधिकार क्षेत्र के बिना होता।”

20. हमारी राय में, रिट न्यायालय ने अपीलकर्ताओं की ओर से उठाए गए परिसीमा के तर्क पर ध्यान देने से इनकार करके रिकॉर्ड की गंभीर त्रुटि की और मामले की गुण-दोष पर जांच करने के लिए आगे बढ़ा, जो राजस्थान सीलिंग अधिनियम की धारा 15(1) के तहत रोक को देखते हुए अनुमेय नहीं था। राजस्थान सीलिंग अधिनियम की धारा 16 यह प्रावधान करती है कि किसी व्यक्ति द्वारा रखी गई और अंतिम विवरण में दिखाई गई अधिशेष भूमि को अंतिम विवरण की तामील की तारीख से राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित माना जाएगा और वह उक्त तारीख से

सभी भारों से मुक्त होकर पूर्णतः राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। किसी भूमिधारक द्वारा सीलिंग कानूनों से बचने या उससे बच निकलने को रोकने की विधायी मंशा धारा 17 के तहत और भी स्पष्ट होती है, जो यह प्रावधान करती है कि किसी भी व्यक्ति के लिए खरीद, उपहार, बंधक, समनुदेशन, पट्टे, अभ्यर्पण, न्यागमन, वसीयत या अन्यथा किसी भी भूमि को प्राप्त करना कानूनी नहीं होगा जिससे कि राजस्थान सीलिंग अधिनियम के प्रारंभ होने पर और उससे उस पर लागू सीलिंग क्षेत्र से उसकी जोत का विस्तार प्रभावित हो और बढ़े, जो धारा 17 के तहत निहित अन्य प्रावधानों के अधीन है। इसलिए, राजस्थान राज्य के पास नियत तिथि पर उपलब्ध अतिरिक्त भूमि पर एक प्रोद्भूत या निहित अधिकार होगा और राजस्थान राज्य के सारभूत अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार राज्य के हित की रक्षा करने की शक्ति के प्रयोग के नाम पर परिसीमा की अवधि बीत जाने के बाद राजस्थान सीलिंग अधिनियम की धारा 15(1) के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती है।

21. परिसीमा के कानून सार्वजनिक नीति पर आधारित हैं। परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 2(जे) परिसीमा की अवधि को परिसीमा अधिनियम की अनुसूची के तहत किसी भी वाद, अपील या आवेदन के लिए निर्धारित परिसीमा की अवधि के रूप में परिभाषित करती है और निर्धारित अवधि का अर्थ कानून के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई परिसीमा की अवधि होगी। परिसीमा अधिनियम की धारा 3 न्यायालयों पर यह कर्तव्य डालती है कि यदि कोई वाद निर्धारित अवधि के बाद किया गया है तो उसे खारिज कर दें, भले ही परिसीमा को बचाव के रूप में पेश न किया गया हो। “मकबूल अहमद एवं अन्य बनाम ओंकार प्रताप नारायण सिंह”<sup>10</sup> में प्रिवी काउंसिल ने माना कि न्यायालय परिसीमा अधिनियम की धारा 3 के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि उसके समक्ष वाद समय के भीतर है या नहीं और यदि न्यायालय ऐसा करने में विफल रहता है और किसी ऐसे वाद या दावे को स्वीकार करता है जो परिसीमा द्वारा

10 1935 एआईआर 85 पीसी

वर्जित है, तो न्यायालय अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य करता है। सामान्य बोलचाल में यह सच है कि अधिकांश समय परिसीमा का तर्क कानून और तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न बन जाता है, लेकिन जहाँ तथ्यात्मक आधार निर्धारित किया जा चुका है, वहाँ उच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। कानून काफी हद तक स्थापित है कि रिट न्यायालय विशुद्ध रूप से कानून के प्रश्न पर आधारित तर्क को स्वीकार कर सकता है और यह आवश्यक नहीं है कि व्यथित पक्ष द्वारा विशेष रूप से ऐसा आधार अभिवचित किया गया हो, बशर्ते कि उस संबंध में पर्याप्त अभिवचन हों और विरोधी पक्ष को चुनौती के ऐसे आधार का सामना करने का उचित अवसर दिया गया हो। इसलिए, न्यायालय के लिए स्वीकृत तथ्यों के आधार पर निर्णय सुनाने का विकल्प उपलब्ध होगा, अर्थात् ऐसे मामले में जहाँ परिसीमा निर्धारित करने के लिए आवश्यक आधारभूत तथ्य स्वीकृत हों। वर्तमान मामला उसी प्रकार का है।

22. यद्यपि अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत अंकित थी, रिट न्यायालय ने 26 अक्टूबर 1993 के आदेश में हस्तक्षेप करने से ऐसे इनकार कर दिया जैसे कि रिट याचिका अनुच्छेद 227 के तहत दायर की गई थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति पूर्ण है और बिना किसी बंधन के है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 में उपयोग की गई भाषा बहुत व्यापक है और रिट न्यायालय की शक्तियाँ आदेश, रिट या निर्देश जारी करने तक विस्तृत हैं। अनुच्छेद 226 के तहत, उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी को, जिसमें कोई भी सरकार शामिल है, निर्देश, आदेश और रिट जारी करता है। जबकि, उच्च न्यायालय उन सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग करता है जिनके संबंध में वह अनुच्छेद 227 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। रिट जारी करने की शक्ति निश्चित रूप से अधीक्षण की शक्ति के समान नहीं है क्योंकि बंदी

प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पृच्छा, प्रतिषेध या उत्प्रेषण की रिट को उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधीक्षण की शक्ति के बराबर नहीं माना जा सकता है। जहाँ रिट व्यक्तियों, अधिकारियों या राज्य के विरुद्ध निर्देशित होती हैं, वहीं अनुच्छेद 227 के तहत पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधिकरण अपने अधिकार की सीमाओं के भीतर और कानून के अनुसार कार्य करें। यह वास्तव में एक बहुत ही अति-तकनीकी दृष्टिकोण होगा कि यह मान लिया जाए कि राजस्थान सीलिंग अधिनियम के तहत वैधानिक अधिकारियों द्वारा पारित आदेश को केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत चुनौती दी जा सकती है। उत्प्रेषण की रिट वहाँ प्रदान की जा सकती है जहाँ वैधानिक प्राधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र के बिना या उससे अधिक कार्य किया हो। उत्प्रेषण रिट का उद्देश्य एक उच्च न्यायालय के अधिकार द्वारा यह सुरक्षित करना है कि निम्न प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र का उचित प्रयोग किया जाए। वैधानिक प्राधिकारी जांच शुरू करने के लिए सक्षम हो सकता है लेकिन जांच करते समय वह प्रक्रिया के नियमों की घोर अवहेलना या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में कार्य नहीं कर सकता है। रिट न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति के प्रयोग में राजस्थान सीलिंग अधिनियम के तहत एक वैधानिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की वैधता का परीक्षण करने के लिए एक जांच शुरू करने का हकदार है जहाँ आदेश को अधिकारिता के अभाव के आधार पर चुनौती दी गई हो। हमारी राय में, कानून के प्रावधानों की स्पष्ट अज्ञानता या अवहेलना पर आधारित निर्णय या जहाँ अभिलेख के प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट कोई प्रकट त्रुटि हो, निश्चित रूप से उत्प्रेषण की रिट के अधीन है।

23. अंतिम बंदोबस्त आदेश को फिर से खोलने का राज्य सरकार का आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना और प्रत्यक्ष रूप से गलत था। लैटिन कहावत "*sublato fundamento cadit opus*", जिसका अर्थ है कि जब नींव हटा दी जाती है तो अधिरचना गिर जाती है, को ध्यान में रखते हुए,

हम यह मानते हैं कि प्राधिकृत अधिकारी और राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश कानून की दृष्टि में दोषपूर्ण हैं।

24. परिणामस्वरूप, रिट न्यायालय के दिनांक 16 अगस्त 2016 के आदेश को रद्द किया जाता है और ये विशेष अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

(कुलदीप माथुर),जे

(श्री चंद्रशेखर),जे

अर्जुन/अजय/-

क्या रिपोर्टिंग के लिए फिट है:- हाँ/नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



**Tarun Mehra**

**Advocate**